कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।

पत्रांक:- दिनांक:-

सेवा में,

वित्त नियंत्रक,
लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश
लखनऊ।

विषयः- उच्चन्त मदों तथा रेमिटान्स मदों के अवशेषों के समायोजन का लेखा महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

संदर्भः- वित्त (लेखा) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन का शासनादेश संख्या-4/2022/ए-2-133/दस-2022-10(9)/95 दिनांक 18/08/2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वित्त विभाग द्वारा उच्चन्त मदों तथा रेमिटान्स मदों के अवशेषों के निस्तारण/समायोजन हेतु समय सीमा निर्धारित करते हुए, समायोजन/निस्तारण का लेखा महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने के संबंध में निर्देशित किया गया है। इस संबंध में अपने विभाग के खण्डों को लेखा प्रेषण हेतु निम्नलिखित निर्देश प्रेषित करना सुनिश्चित करें-

1. सी.सी.एल. प्रणाली को समाप्त कर कम्प्टूरीकृत कोषागार प्रणाली लागू किये जाने के फलस्वरूप कार्य पर भुगतान के वाउचर कोषागार लेखा के साथ कार्यालय में प्राप्त हो रहे हैं। अतः प्रपत्र-64 एवं 74 में कार्यो पर कोषागार के माध्यम से भुगतानित धनराशि तथा भारित स्टॉक अलग-अलग प्रदर्शित किए जाये तथा कुल व्यय प्रदर्शित किया जाये ।

   प्रपत्र-80 में उच्चन्त अवशेषों से समायोजित स्टॉक व प्रकीर्ण अग्रिम की धनराशि पूर्व की भाँति लधुशीर्ष '799' के अन्तर्गत NDS (Net debit to suspense) के सापेक्ष प्रदर्शित की जाये तथा कार्यों पर समायोजित स्टॉक की धनराशि ही डाटाशीट तथा प्रपत्र-80 में प्रदर्शित की जाये।

2. प्रपत्र-65 निर्धारित प्रारूप मे एवं प्रपत्र-64 के निर्धारित प्रारूप में बिन्दु 1 मे दिये सुझाव को सम्मिलित कर, आवंटन आदि समस्त आंकडे अंकित कर ही प्रेषित किये जाये। जिन कार्यो पर स्टॉक भारित किया जाये उन कार्यो पर उपलब्ध आवंटन की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है। अन्यथा की स्थिति में समायोजित उच्चन्त मदों की धनराशियों को मासिक लेखा मे स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3. संदर्भित शासनादेश के विन्दु 3 (ख), (ग) एवं (घ) मे प्रदत्त निर्देशों के अनुसार समस्त सामग्री का नियमानुसार निर्गमन एवं उसका व्यय संबंधित कार्यों पर यथास्थिति वास्तविक आधार पर भारित किया जायें तथा किसी भी प्रकार का दोहराव न किया जाए। पिछले वित्तीय वर्ष के कार्यो पर नियम विरुद्ध कोई भी समायोजन न किया जाए।

4. रेमिटान्स के सापेक्ष मासिक लेखा के साथ चालान की सत्यापित छायाप्रति प्रेषित की जाए, जिसमे जमाकर्ता विभाग/संस्था का नाम तथा धनराशि किस कार्य हेतु जमा की गयी है, का स्पष्ट उल्लेख हो।

इसके अतिरिक्त खंडो द्वारा IOCL/HPCL अथवा अन्य संस्था को कार्य पर भारित कर भुगतान की गयी धनराशि को वापस प्राप्त किये जाने संबंधी प्रकरणो के संबंध मे नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा ऐसे प्रकरणो की विभागीय स्तर पर प्रमुख अभियंता/वित्त नियंत्रक कार्यालय द्वारा मॉनिटरिंग की जाये।

भवदीय

वरि0लेखाधिकारी/ नि०सं०(प्र०)

पत्रांक:- 382

दिनांक:- 05-9-2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. सहायक लेखाधिकारी,कम्प्युटर प्रकोष्ठ स्थानीय को कार्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

वरि0लेखाधिकारी/नि०सं०(प्र०)